HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 8286/2026
URN: CRLMB / 15102U / 2026

Rahul Patni S/o Rajkumar Patni, Aged About 39 Years, R/o Flat No. A-101, Satyam Residency, Vinayak Vihar, Golyawas, Police Station Narayan Vihar, Jaipur. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shashi Shekhar Gaur, Adv. Ms. Pooja Yadav, Adv. Mr. Sunil Choudhary, Adv. Mr. Ninad Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Gaurav Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना शिप्रा पथ, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 74, 137(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (संशोधित) में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है, प्रार्थी/अभियुक्त ने

पीड़िता के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, न ही पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का पीड़िता के साथ कोई संबंध चल रहा है। पीड़िता का हर्षवर्धन माथुर नाम के अन्य व्यक्ति से संबंध था, उसने हर्षवर्धन को कोचिंग में एडमिशन देने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त को कहा और उस पर दबाव बनाया। प्रार्थी/अभियुक्त के हर्षवर्धन की कोचिंग में एडमिशन नहीं देने के कारण पीड़िता ने उसके विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, चार साक्षीगण के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हो चुके हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने शिक्षक होते हुए 17 वर्षीय पीड़िता के साथ घिनौना अपराध कारित किया है, उसने पीड़िता को कमर से पकड़कर गोदी में बैठा लिया और अपना प्राईवेट पार्ट उसकी बॉडी से रब किया। पीड़िता ने अभियोजन पक्ष व अन्य साक्षीगण के विरूद्ध साक्ष्य दी है। पीड़िता की जन्मतिथि 10.09.2008 है और वह घटना की दिनांक को 17 वर्षीय अवयस्क थी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित हो चुके हैं लेकिन उसके विरूद्ध धारा 9(P) भारतीय न्याय संहिता में आरोप विरचित किये जाने के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जो लंबित है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीड़िता की जन्मतिथि 10.09.2008 बताई गई है तथा घटना के समय पीड़िता का अवयस्क होना बताया गया है। पीड़िता ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त का कोचिंग सेन्टर में अकाउंटिंग व पीड़िता के स्कूल में इकॉनोमिक्स का अध्यापक होना तथा स्वयं का घटना के समय

12वीं कक्षा में होना बताया है। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के लेखबद्ध बयान के अनुसार दिनांक 31.12.2025 से दो–तीन दिन पहले प्रार्थी/अभियुक्त ने उसके वाट्सएप पर मैसेज किये तथा दिनांक 31.12.2025 को उसे अपनी गाड़ी में बिठाना पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है। पीड़िता ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उसकी कमर पकड़ कर अपनी गोदी में बिठा लिया और अपना प्राईवेट पार्ट पीड़िता की बॉडी से रब किया। पीड़िता के द्वारा हर्षवर्धन माथुर को प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संचालित कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त पर दबाव बनाया, इस तथ्य को पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार नहीं किया है। पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मोबाईल से उनकी फोटो लेना बताया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.05.2026 में पीड़िता के पिता पी.डब्ल्यू.–2 और पीड़िता की बहन पी.डब्ल्यू.–3 व पीड़िता के रिश्तेदार पी.डब्ल्यू.–4 द्वारा भी पीड़िता के कथनों की पुष्टि घटनाक्रम के संबंध में होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शिक्षक होते हुए दो घंटे से अधिक समय तक अवयस्क पीड़िता को ले जाने व मैसेज किये जाने व 56 किलोमीटर वाहन चलाने का तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने आया है। अनुसंधान अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा शिक्षक होते हुए अवयस्क विद्यार्थी पीड़िता के साथ किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का माना जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल पाटनी पुत्र राजकुमार पाटनी** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षीगण की प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में प्रभावी आदेशिका लेखबद्ध कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

05/DINESH KUMAWAT